अध्याय II
सीमाशुल्क का गलत निर्धारण

हमने नमूना-जांच के दौरान सीमाशुल्क के गलत निर्धारण के कुछ मामले देखे जिनमें ₹ 37.94 करोड़ की आपत्तियां थी। उनका वर्णन निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है। ये आपत्तियां पांच ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को सम्प्रेषित की गई थी।

2.1 आयात-पत्र देर से प्रस्तुत करने में वित्तीय अभिलाभ

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 के साथ पठित धारा 46 के अनुसार, एक आयातक को आयातित माल के संबंध में आयात-पत्र (बीई) प्रस्तुत करना होता है और उतराई की तारीख से 30 दिनों के अन्दर अथवा उस बढ़ाई गई अवधि के अन्दर, जो विभाग अनुमत करे, क्लीयरेंस लेनी होती है। क्लीयर न किया गया माल आयातक को नोटिस देने के पश्चात् तथा समुचित अधिकारी की अनुमति से उसकी अभिरक्षा वाले व्यक्ति द्वारा बेचा जा सकता है। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15(**1**) के अनुसार आयातित माल के लिए लागू शुल्क की दर तथा टैरिफ मूल्यांकन बीई के प्रस्तुतिकरण की तारीख को लागू दर तथा मूल्यांकन होना चाहिए।

कच्चे खजूर-तेल (सीपीओ) पर शुल्क अधिसूचना सं. 37/2008-सीशु दिनांक 20 मार्च 2008 के द्वारा 45 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया था और उसे अधिसूचना सं.42/2008 दिनांक 1 अप्रैल 2008 के अनुसार घटा कर "शून्य" कर दिया गया था। कच्चे डीगम्मड सोयाबीन तेल (खाद्य श्रेणी) (सीडीएसओ) पर शुल्क भी अधिसूचना सं. 42/2008 दिनांक 1 अप्रैल 2008 के अनुसार 40 प्रतिशत से घटा कर "शून्य" कर दिया गया था।

हमने "सीपीओ एवं सीडीएसओ" के 92 परेषण देखे जो मै. अदानी विल्लमर तथा कस्टम हाऊस, कांडला कमिश्नरी के माध्यम से 22 अन्यों के द्वारा दिसम्बर 2007 तथा फरवरी 2008 के बीच आयात किए गए थे। वे न तो उतराई की तारीख से 30 दिन के अन्दर क्लीयर किए गए थे और न ही आयातकों द्वारा कोई विस्तार मागें गए थे। 35 दिन से 161 दिन के बीच के विलम्ब के पश्चात् उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अन्तर्गत शुल्क रियायतों का दावा करते हुए 24 मार्च तथा 30 जून 2008 के बीच 92 बीई फाईल किए गए थे। विभाग ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 117 के अन्तर्गत शास्ति लगाने (यह टोकन शास्ति है जो अधिकतम ₹ 1 लाख है) के पश्चात् माल की क्लीयरेंस की अनुमति प्रदान की और शुल्क रियायती दरों पर लगाया गया था। इस प्रकार, आयातकों ने बीई देर से प्रस्तुत करके निम्नतर दरों का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 36.67 करोड़ के राजस्व की सैद्धान्तिक हानि हुई।

हमारे इसे बताने पर (अगस्त/नवम्बर 2008), विभाग ने बताया (अगस्त 2009, फरवरी 2010) किः-

i) शुल्कों का निर्धारण एवं भुगतान धारा 15 में प्रदत्त बीई के प्रस्तुतिकरण की तारीख पर प्रचलित दर पर किया गया था।

ii) सीमाशुल्क विभाग/सीमाशुल्क अधिकारी माल के अभिरक्षक नहीं थे और उन्होंने अपनी ओर से इस बात पर ज़ोर नहीं दिया कि आयातक 30 दिन के अन्दर माल क्लीयर करें।

विभाग का उत्तर वर्तमान प्रावधानों की कमी को उजागर करता है जो आयातकों को आयातित माल की निकासी में 30 दिन की निर्धारित अवधि से अधिक के विलम्ब की अनुमति देता है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि होती है।

हमने मामला मंत्रालय को सूचित कर दिया था (अक्तूबर 2010); उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

सिफारिश

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को संशोधनों/अधिसूचनाओं की जांच करनी चाहिए और उनमें यह प्रावधान करना चाहिए कि आयातक की वजह से 30 दिन के बाद की जाने वाली निकासियों के मामले में शुल्क की दरों में कमी के कारण होने वाली राजस्व की हानि आयातक द्वारा ही पूरी की जाए।

2.2 टर्मिनल उत्पादशुल्क (टीईडी) प्रतिदायों पर प्रदत्त ब्याज

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-09 के पैराग्राफ 8.3(सी) के अनुसार, माने गए निर्यात क्रियाविधि हस्तपुस्तक भाग- I में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन माने गए निर्यात के रूप में अर्हता प्राप्त माल के निर्माण और आपूर्ति के संबंध में टर्मिनल उत्पादशुल्क (टीईडी) के प्रतिदाय के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, पैराग्राफ 8.5.1 के अनुसार टीईडी के प्रतिदाय में विलम्ब पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज देय होगा।

संयुक्त डीजीएफटी लुधियाना के कार्यालय में टीईडी भुगतान के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 379 मामलों में प्रतिदाय के दावों का निर्धारित समय सीमा के अन्दर निपटान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 75.31 लाख के ब्याज का भुगतान किया गया।

हमारे बताने पर (सितम्बर 2009), क्षेत्रीय डीजीएफटी प्राधिकरण ने बताया कि ब्याज का भुगतान नीति के अनुसार किया गया था तथा डीजीएफटी, नई दिल्ली से निधियों के आबंटन में विलम्ब के कारण दावों का निपटान नहीं किया जा सका। उत्तर से इस बात की पुष्टि होती है कि निधियों का समय पर आबंटन करके विलम्ब तथा उसके परिणामतः ₹ 75.31 लाख के ब्याज के भुगतान से बचा जा सकता था।

हमने मामला मंत्रालय को सूचित कर दिया था (सितम्बर 2010); उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

2.3 शुल्क की दर गलत अपनाना

केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिसूचना सं. 2/2008 दिनांक 1 मार्च 2008 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अनुसार; अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में सूचीबद्ध आयातित माल पर निर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीवीडी) उद्ग्राह्य था। सीवीडी की दर, अधिसूचना 2/2008-सीई की क्रम सं. 14, 16 तथा 18 पर निर्दिष्ट माल को छोड़कर केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिसूचना 58/2008 दिनांक 7 दिसम्बर 2008 के द्वारा समस्त माल पर घटा कर 10 प्रतिशत कर दी गई थी।

मै. डेल्फी ऑटोमोटिव सिस्टम्स प्रा. लि. तथा बीस अन्य आयातकों ने चेन्नई समुद्री कमिश्नरी के माध्यम से ग्रीस (सीटीएच 27101980, क्र. सं.16), अर्ध परिष्कृत पैराफ़िन मोम (सीटीएच 27122090, क्रम सं.18), ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्ल्यूड (सीटीएच 27101980, क्रम सं. 16) नामक विभिन्न प्रकार के माल के 42 परेषणों का आयात किया (दिसम्बर 2008 से मार्च 2009) जिनका मूल्य ₹ 5.37 करोड़ था और सीवीडी के लिए इनका निर्धारण गलती से अधिसूचना 58/2008-सीई के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर पर किया गया था, हालांकि उन्हें विशेष रूप से रियायत से अलग किया गया था। शुल्क की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 30.96 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ जिसकी वसूली की जानी थी।

हमारे बताने पर (मई 2009), विभाग ने 30 परेषणों के संबंध में ₹ 0.88 लाख के ब्याज सहित ₹ 24.37 लाख के शुल्क की वसूली सूचित की (जून/अक्तूबर 2009)। शेष परेषणों का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

हमने मामला मंत्रालय को सूचित कर दिया था (अगस्त 2010); उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.4 समुद्री बिक्री का गलत निर्धारण

सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली 2007 के नियम 3(1) के अनुसार, आयातित माल का मूल्य लेन-देन मूल्य होगा। केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने अपनी सार्वजनिक सूचना सं.145/2002 दिनांक 3 दिसम्बर 2002 में यह स्पष्ट किया था कि यदि वास्तविक समुद्री बिक्री "सीआईएफ मूल्य जमा 2 प्रतिशत " से अधिक है तो शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से प्रदत्त वास्तविक बिक्री ठेका मूल्य पर ही विचार किया जाएगा। निर्धार्य मूल्य में एक प्रतिशत के उतराई प्रभारों के अतिरिक्त कमीशन प्रभार तथा आयातक द्वारा किए गए अन्य खर्चे भी शामिल होंगे।

मै. पतंजलि आयुर्वेद लि. ने ईपीसीजी लाइसेंस दिनांक 25 मार्च 2009 के प्रति मै. अलफा लेवल (इंडिया) लि. से समुद्री बिक्री आधार पर पूंजीगत माल अर्थात "स्टीम

प्रैशर पीलिंग मशीन," "सहायक पुरज़ों सहित बैल्ट प्रैस " की खरीद की (जून/जुलाई 2009)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बीई "सीआईएफ मूल्य जमा समुद्री बिक्री प्रभार का दो प्रतिशत " पर फाईल की गई थी और उसी के अनुसार ही शुल्क का भुगतान किया गया था। उसके बावजूद "करार मूल्य " बीजक मूल्यों से अधिक थे। इस प्रकार, निर्धारण के उद्देश्य से करार मूल्य न अपनाने के कारण ₹ 13.38 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे विभाग को फरवरी 2010 में बताया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

हमने मामला मंत्रालय को सूचित कर दिया था (अगस्त 2010), उसका उत्तर नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

2.5 सुरक्षा शुल्क का अनुद्ग्रहण

अधिसूचना सं.75/09-सी.शु. दिनांक 30 जून 2009 के अनुसार, अधिसूचित "विकासशील देशों " के अतिरिक्त अन्य देशों से आयात की गई "फ्थेलिक एन्हाड्राईड़ ", जिसका वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 29173500 के अन्तर्गत किया जाता है, पर सुरक्षा शुल्क उद्ग्राह्य है। इस शुल्क का उद्ग्रहण 29 जनवरी 2009 से जून 2009 तक 25 प्रतिशत की दर पर तथा जुलाई 2009 से दिसम्बर 2009 तक 15 प्रतिशत की दर पर यथा-मूल्य आधार पर किया जाना था।

मै. एशियन पीपीजी इंण्डस्ट्रीज़ लि. तथा मै. अतुल लि. ने जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाऊस (जेएनसीएच), मुम्बई से "फ्थेलिक एन्हाड्राईड़" के तीन परेषण ताईवान से आयात किए (मई/अक्तूबर 2009)। विभाग ने सुरक्षा शुल्क के उद्ग्रहण के बिना इन तीनों परेषणों की निकासी की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.59 लाख के शुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ।

हमारे इसे बताने पर (दिसम्बर 2009), विभाग ने बताया कि चूंकि सुरक्षा शुल्क अधिसूचना रद्द कर दी गई थी, अतः माल पर शुल्क उद्ग्राह्य नहीं था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनन्तिम सुरक्षा शुल्क लगाने वाली अधिसूचना सं.9/2009-सी.शु. दिनांक 29 जनवरी 2009, 30 जून 2009 को रद्द की गई थी और फ्थेलिक एन्हाड्राईड़ पर अन्तिम आधार पर सुरक्षा शुल्क लगाने वाली अन्य अधिसूचना सं.75/2009-सी.शु. उसी दिन जारी कर दी गई थी।

हमने मामला मंत्रालय को सूचित कर दिया था (अगस्त 2010); उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।